



JALAUN POLICE

“Operation Conviction”

दिनांक 11.09.2026

पुलिस अधीक्षक जालौन के निर्देशन में मॉनीटरिंग सेल जनपद जालौन एवं कोतवाली कोच पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी से मा0 न्यायालय (एडीजे स्पे0 एससी/एसटी कोर्ट उर्ई) जनपद जालौन द्वारा 01 अभियुक्त को दोषी पाते हुए 02 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 5,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

अभियुक्त भूपेन्द्र कुमार दुबे पुत्र बद्रीप्रसाद निवासी ग्राम बिरगुवाँ बुजुर्ग कोतवाली कोच के विरुद्ध कोतवाली कोच पर मु0अ0सं0 20/23 धारा 323/504/506 भादवि व 3(1) थ एससी एसटी एक्ट पंजीकृत किया गया था। "ऑपरेशन कन्विक्शन" के अन्तर्गत मॉनीटरिंग सेल व थाना कोतवाली कोच पुलिस द्वारा की गयी सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय (एडीजे स्पे0 एससी/एसटी कोर्ट उर्ई) जनपद जालौन द्वारा अभियुक्त भूपेन्द्र उपरोक्त को दोषी पाते हुए 02 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 5,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।



श्री रणकेन्द्र भदौरिया
ADGC



प्र0नि0 मॉनिटरिंग सेल
श्री परमहंस तिवारी



का0 हृदेश यादव
कोर्ट पैरोकार



का0 आशीष तिवारी
कोर्ट मुहरीर

jalaunpolice

